□□□□ □□□□□

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

□□□ □□□

□तारांकित प्रश्न □ख□□: 2607

06 □□□, 2020 □□ □□□□□□□□□प्रश्□ □□ □त्त□

□□□□□□ □□□□□ □□ प्र□□□

2607. □□□ □□□ □□□□ (□) □□□□□□□□□ □□□□□□□□

श्री □□□ □न□□□□□

□□□ □□□□□□□ □□□□स□□□□□

श्री □रु□□ □□□□□□□□□ □□□□□

श्री □□□□□□ □□□□□□

श्री□□□□ □□□□□ □□□ □□□□

श्री □□□□ □□□□□□□□□□□

श्री□□□□ □□□□□क्ष्मी □□□□

श्री एस॰ वकटशनः

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने को कृपा करगे किः

(क) देश के भीतर और विदेशों म अब तक सीओवीआईडी-19 से संक्रमित भारतीयों को संख्या कितनी है;

(ख) क्या देश म सीओवीआईडी-19 के कारण मौतों को संख्या म वृद्धि हुई है और यदि हां, तो देश के भीतर सीओवीआईडी-19 के कारण अब तक सूचित मौतों को संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार के पास कोई रणनीतिक दृष्टिकोण है और विशेष रूप से प्रकोप को स्थिति म सीओवीआईडी-19 से निपटने के लिए चिकित्सकोय रूप से सुसज्जित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को तमिलनाडु सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और कोरोना वायरस के बारे म जनता से कोई शिकायत प्राप्त हुई है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस प्रकार के संचारी वायरस के बारे म जनता को शिक्षित करने और वैश्विक हस्तक्षेप द्वारा वैज्ञानिक सहयोग से ऐसी चुनौतियों का सामना करने के लिए उपाय किए ह और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या कोरोना वायरस से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए कोई अलग ओपीडी/अस्पताल बनाया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी ओपीडी/अस्पताल को संख्या कितनी है और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने मामले रिपोट किए गए ह और उपचार किया जा रहा है और कोरोना वायरस के प्रभाव को रोकने के लिए क्या काय योजना है?

□त्त□

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. हष वधन)

(क): दिनांक 04 माच, 2020 को स्थिति अनुसार भारत म कुल 29 पॉजिटिव मामलों को रिपोट मिली है जिसम भारत म दौरे संबंधी 16 इटली के पयटक शामिल है। इनम से 3 भारतीय नागरिकों के मामलों को रिपोट केरल से मिली थी जो अब रिकवर हो चुके ह तथा उन्ह अस्पताल से डिस्चाज किया जा चुका है।

दिनांक 1 तथा 2 फरवरी, 2020 को वुहान, चीन से कुल 654 यात्री निकाले गए तथा उन्ह 14 दिनों तक क्वारेनटाइन आर्मो कैम्प, मानेसर तथा इंडो-तिब्बतन बोडर पुलिस (आईटीबीपी) कैम्प, छावला (दिल्ली) म रखा गया। इन विस्थापितों को दो बार जांच को गई तथा सीओवीआईडी-19 के लिए नेगेटिव पाए जाने पर उन्ह 17 तथा 18 फरवरी, 2020 को छोड़ा गया।

27 फरवरी, 2020 को 112 व्यक्तियों (76 भारतीय तथा 36 विदेशी नागरिकों) को वुहान, चीन से लाया गया तथा 14 दिनों तक आर्मो कैम्प क्वारेन्टाइन, मानेसर रखा गया। 124 (119 भारतीय तथा 5 विदेशी नागरिकों) को जापान से लाया गया था 14 दिनों तक आईटीबीबी कैम्प क्वारेन्टाइन, छाबला (दिल्ली) म रखा गया। इन सभी 236 यात्रियों को जांच को गई तथा ये सीओवीआईडी-19 नेगेटीव पाए गए।

(ख): दिनांक 04.03.2020 तक देश म सीओवीआईडी-19 के कारण किसी मृत्यु को रिपोट नहों मिली है।

(ग) से (च): सरकार ने चीन म नोवल कोरोनावायरस सीओवीआईडी-19 के प्रकोपों का संज्ञान लिया है तथा भारत म स्थिति को निगरानी के लिए निम्न कदम उठाए ह:-

I. दिनाकं 18 जनवरी, 2020 से देश म यात्रियों को जांच को शुरूआत को गई थी। शुरूआत म दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता, बगलुरु, हैदराबाद, कोच्चि के हवाई अड्डों को कवर किया गया और तत्पश्चात इसका विस्तार करके कुल 21 हवाई अड्डों को कवर किया गया। उभरती हुई स्थिति के अनुसार प्रारम्भिक तौर पर चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, ईरान, इटली, हांगकंग, वियतनाम, मलेशिया, इण्डोनेशिया, नेपाल, थाइलैण्ड और सिगापुर होते हुए आने वाली सीधी उड़ानों के सभी यात्रियों के लिए सावभौमिक जांच शुरू को गई। कल से देश म आने वाले सभी अंतराष्ट्रीय यात्रियों के संबंध म सावभौमिक जांच हेतु दिशा-निदश भी जारी किए गए ह। हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर प्रमुख स्थलों पर साइनेज का प्रदशन किया गया है, उड़ान के अंदर घोषणाएं को जा रही ह तथा सभी यात्रियों द्वारा स्वयं घोषणा फाम भरवाएं जा रहे ह। दिनांक 04 माच, 2020 को स्थिति अनुसार कुल 6241 उड़ानों को जांच को गई है जिसम कुल 611167 यात्रियों को कवर किया गया है। प्रभावी जांच और संबद्ध अस्पतालों म आईसोलेशन के प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए सभी हवाई अड्डों पर विशेषज्ञ चिकित्सकों के दल के भेजा गया था। इसके अलावा बॉडर क्रासिग पर जांच को शुरूआत को गई है। आने वाली उड़ानों म उड़ानों के भीतर घोषणाओं, आने वाले यात्रियों द्वारा स्व-घोषणा फॉम भरवाने के प्रबंध किए गए ह। यात्रियों के मागदशन और सुविधा के लिए बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर प्रमुख स्थानों पर साइनेज प्रदर्शित किए गए ह। दिनांक 17.01.2020 को प्रथम यात्रा एडवाइजरी जारी को गई थी और जैसा कि स्थिति पैदा हो रही है यात्रा एडवाइजरी म तदनुसार संशोधन करवाया जाता है। मौजूदा एडवाइजरी निम्नलिखित का प्रावधान करती है:

(i) 3 माच, 2020 के बाद अथवा पहले इटली, इरान, दक्षिण कोरिया तथा जापान के नागरिकों को जारी किए गए नियमित वीज़ा/ई वीज़ा और जो अब तक भारत नहों पहुँचे ह, उन्ह तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

(ii) 5 फरवरी, 2020 तक अथवा इससे पहले चीन को जारी नियमित/ई-वीज़ा, जिसे पहले निलंबित किया गया था, जो लागू रहेगा।

(iii) बाध्यकारी कारणों के चलते भारत आने वाले यात्री निकट के भारतीय दूतावास/वाणिज्य दूतावास से नवीन वीज़ा प्राप्त कर सकते ह।

(iv) चीन गणराज्य, इरान, इटली, दक्षिण कोरिया तथा जापान को यात्रा करने वाले विदेशियों, जिन्होंने अब तक भारत म प्रवेश नहों किया है, को 1 फरवरी, 2020 को अथवा इसके बाद जारी नियमित/ई-वीज़ा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

(v) किसी भी बंदरगाह से भारत म आने वाले सभी विदेशियों तथा भारतीय नागरिकों को सभी बंदरगाहों पर निजी स्वास्थ्य अधिकारियों तथा आप्रवासन अधिकारियों को अपने निजी ब्यौरे तथा यात्रा का वृतांत प्रस्तुत करना होगा।

(vi) चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, ईरान, इटली, हॉंगकॉंग, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, नेपाल, थाइलैण्ड, सिगापुर से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आने वाले यात्रियों (विदेशी अथवा भारतीय) को प्रविष्टि बंदरगाह पर चिकित्सा जांच करानी होगी।

II. सरकार ने पत्तनों, हवाईअड्डों और सीमा पारगमन बिन्दुओं के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया है और उन्ह उच्चतर जोखिम रोगजनकों जैसे ईबोला एवं कोरोनावायरस के प्रबंधन के संबंध म जागरूक किया गया है, उन्ह निजी सुरक्षा उपकरण प्रदान कराए गए ह। यात्रियों को सुचारू, प्रभावी तथा सुविधाजनक जांच के लिए हवाई अडडों पर अतिरिक्त चिकित्सकों, नर्सों और पराचिकित्सा स्टॉफ को तैनाती को गई है।

III. नैदानिक प्रबंधन, संक्रमण रोकथाम नियंत्रण निगरानी तथा नमूना एकत्रण आदि संबंधी दिशा-निदशों को राज्यों को भेजा गया है और इन्ह केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को वेबसाईट पर भी उपलब्ध कराया गया है। सोशल मीडिया सहित मीडिया के माध्यम से जोखिम को सूचना दी जा रही है।

IV. इस रोग को रोकथाम और नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने कई उपाय किए ह। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री को अध्यक्षता म मंत्रियों के एक समूह का गठन किया गया है जिसम विदेश मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री,गृह राज्य मंत्री,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री,पोत परिवहन मंत्री शामिल ह। दिनांक 03.02.2020, 13.02.2020, 02.03.2020 तथा 04.03.2020 को जीओएम को बैठकों का आयोजन किया गया। मंत्रिमंडल सचिव ने संबंधित मंत्रालयों/विभागों जैसे स्वास्थ्य, रक्षा, विदेश, नागरिक उड्डयन, गृह, कपड़ा, फामा, वाणिज्य के साथ अनेक बैठक को ह।

V. केन्द्र सरकार ने सीओवीआईडी-19 के प्रबंधन संबंधी प्रयासों म निरन्तर आधार पर सभी राज्य सरकारों को नियोजित किया है। मंत्रिमंडल सचिव ने राज्य के मुख्य सचिवों के साथ भी बैठक को ह। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय प्रकट परिदृश्य को निरंतर समीक्षा कर रहा है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों और सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों के साथ विडियो कान्फ्रेंसों का आयोजन किया गया है।

VI. चीन, हांगकांग, ताईवान और सिगापुर से आने वाले यात्रियों का पता लगाने और जांच करने के लिए एकोकृत रोग निगरानी कायक्रम (आईडीएसपी) म गति लाई गई है। देश के विभिन्न भागों म भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईएमआर) को राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान,पूणे तथा 14 अन्य वायरल अनुसंधान तथा नैदानिक प्रयोगशालायों (वीआरडीसी) म नमूनों को जॉच हेतु सरकार द्वारा प्रयत्न किए गए ह। जॉच हेतु पयाप्त प्रयोगशाला अभिकमक उपलब्ध ह। वैयक्तिक सुरक्षात्मक उपकरणों (पीपीई) का पयाप्त स्टॉक रखा गया है। 24X7 नियत्रण कक्ष बनाया गया है। एमईआरएस-सीओवी प्रकोपों तथा इबोला वायरस रोग के प्रबंधन हेतु राज्यों/संघ शासित राज्यों के त्वरित प्रक्रिया दल को प्रशिक्षित किया गया है।

VII. भारत म संभावित किसी भी आयातित जोखिम के प्रबंधन हेतु प्रतिक्रिया कायप्रणाली तथा तैयारियों को जॉच तथा जोखिम के आंकलन हेतु डीजीएचएस को अध्यक्षता के तहत संयुक्त निगरानी समूह (जेएमजी) को कई बैठक आयोजित को गई। डबल्युएचओ,जेएमजी का प्रतिनिधि होने के कारण,इस मंत्रालय को नियमित अद्यतन तथा तकनीको सूचना प्रदान कराता है।

VIII.प्रत्येक राज्य/संघशासित राज्य म सीओयुआईडी-19 को प्रबंधन को समीक्षा हेतु राज्य/संघशासित राज्यों के दौरों के लिए स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी तैनात किए गए ह।

IX. नियमित आधार पर प्रेस रिलीज जारी को जा रही ह। यात्रा एडवाइजरी और अन्य प्रासंगिक मुद्दों के बारे म सोशल मीडिया पर भी सूचना साझा को जा रही है।

X. भारत सरकार ने सीओवीआईडी-19 मामलों के उपचार के लिए स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों को पहचान करने हेतु सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी है। एडवाइजरी का अनुसरण करते हुए सीओवीआईडी-19 मामलों के उपचार के लिए देश म राज्यों द्वारा 962 अस्पतालों/स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों को पहचान को जा चुको है। दिनांक 02.03.2020 तक आईडीएसपी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार प्रभावित सीओवीडी-19 प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों के स्वास्थ्य को स्थिति का राज्यवार ब्यौरा अनुलग्नक म दिया गया है।

सरकार स्थिति को नजदीको से निगरानी कर रही है।

[illegible]

एकोकृत रोग निगरानी कायक्रम								
दिनांक 02.03.2020 तक सीओवीआईडी-19 प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों के स्वास्थ्य स्थिति को दैनिक रिपोट								
क्र. [illegible]	[illegible]	[illegible]क्ष[illegible] यात्रियों को [illegible]	यात्रियों को संख्या जिन्होंने 28 [illegible]	यात्रियों को [illegible] और जिन्ह [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	वर्तमान म [illegible]
1	आंध्र प्रदेश	263	211	0	11	10	0	2
2	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	170	6	1	2	2		1
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0
4	असम	108	74	5	4	3	0	0
5	बिहार	121	3	7	15	11	0	0
6	चंडीगढ़	50	17	4	3	3		0
7	छत्तीसगढ़	27	2	8	23	23	0	0
8	दादर एवं नगर हवेली	12	6	0	0	0	0	0
9	दमन और दीव	6	3	0	1	1	0	0
10	दिल्ली	5937	5818	127	127	112	1	19
11	गोवा	51	38	5	7	7	0	0
12	गुजरात	1519	933	23	25	25	0	0
13	हरियाणा	913	556	23	28	26	0	1
14	हिमाचल प्रदेश	213	172	0	0	0	0	0
15	जम्मू और कश्मीर	189	66	8	21	13	0	1
16	झारखंड	84	1	1	6	6	0	0
17	कनाटक	468	179	284	245	238		1
18	केरल	4249	3955	95	504	493	3	17
19	लद्दाख	154	0	8	8	5	0	4
20	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0
21	मध्य प्रदेश	385	319	4	18	13	0	1

22	महाराष्ट्र	382	279	137	137	132	0	7
23	मणिपुर	338	163	0	7	7	0	0
24	मेघालय	58	54	0	0	0	0	0
25	मिजोरम	16	5	0	2	2	0	0
26	नगालड	17	7	0	0	0	0	0
27	ओडिशा	115	69	8	8	8	0	4
28	पुडुचेरी	52	30	9	9	9	0	0
29	पंजाब	4436	3302	36	41	41	0	0
30	राजस्थान	411	219	77	81	79	0	3
31	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0
32	तमिलनाडु	3043	1405	25	50	50	0	0
33	तेलंगाना	380	100	119	119	111	1	7
34	त्रिपुरा	25	19	0	0	0	0	0
35	उत्तर प्रदेश	2163	1554	98	108	101	0	0
36	उत्तराखंड	393	299	8	9	8	0	0
37	पश्चिम बंगाल	733	81	30	28	25	0	3
	कुल	27481	19945	1150	1647	1564	5	71

*यह रिपोट उपलब्ध सूचना और एसएसयू द्वारा प्रदान की गई तथा सीएसयू द्वारा अद्यतन की गई सूचना के अनुसार है।